पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य/विविध (94)//2011-12// 5194 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 23 // दिसम्बर,2011

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषयः- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक सवंर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1870/11-2011-67/89 दिनांक 16-12-2011 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभाग के आशुलिपिक संवर्ग के संवर्गीय पुनर्गठन का लाभ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-09-2010 से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त सन्दर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

उक्त पत्र की प्रतिलिपि शासनादेश दिनांक 16-12-2011 की प्रति के साथ निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड -2 (वि0अनु0शा0) /(अपील) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0, लखनऊ।

3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2 (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद / लखनऊ।

4- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कारपोरेट सेल) / (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

5- ज्वाइण्ट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर गाजियाबाद।

6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभाग की वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।

7- समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)/(क0-नि0)/(राज्य प्रतिनिधि)/(कर वसूली) वाणिज्य कर उ0प्र0।

8- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय।

9- पटल प्रभारी स्था-5(ग) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

(ए0बी0 सिंह)

डिप्टी कमिश्नर (स्था0 अराज0) वाणिज्य कर

मुख्यालय, लखनऊ।

संख्या—क0नि0—4—1870 11—2011—67/89

प्रेषक,

एस0एन0प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेष शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग—4 लखनऊ::दिनांक 16 दिसम्बर,2011

विषयः—वेतन समिति(2008)के नवम् प्रतिवेदन भाग—1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में वाणिज्य कर विभाग के आशुलिपिक संवर्ग में कर एवं निबंधन अनुभाग—4 के शासनादेश संख्या—क0नि0—4—51/11—2011—67/89, दिनांक 03.02.2011 के साथ संलग्न अनुलग्नक—1 के स्तम्भ—2 में उल्लिखित पदनाम के समक्ष स्तम्भ—3 में इंगित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ—4 में इंगित पदों की संख्या तथा स्तम्भ—5 में पदों को भरे जाने की वर्णित व्यवस्था को अनुलग्नक—2 के स्तम्भ—2 के अनुसार पदनाम, स्तम्भ—3 व 4 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ—5 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ—6 के अनुसार पदों को भरे जाने की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी की गई थी। सामान्य कोटि के पदों को संशोधित/पुनरीक्षित वेतनमान की अनुमन्यता में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से आशुलिपिक संवर्ग के पुनर्गठन का लाभ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—2056/दस—54(एम)/2008 टी0सी0,दिनांक 8.9.2010 से अनुमन्य किया जायेगा। उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2011 की शेष शर्ते एवं व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। शासनादेश दिनांक 03.02.2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

2. उक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1 के अशासकीय संख्या—वे0आ0—1—868/दस—2011, दिनांक 14 दिसम्बर,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(एस0एन0प्रसाद)
विशेष सचिव।

2/—